न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : डॉ सत्यवीर यादव RAS

प्रकरण संख्या :–

1. कानाराम पुत्र सेडू
2. प्रकाश पुत्र भगवान सहाय
3. जगदीश पुत्र रामदेव
4. पप्पूलाल पुत्र टीकूराम
5. बहादुर पुत्र शिवदयाल
6. छिगन पुत्र शिवबक्स
7. रामपाल पुत्र हरफूल

समस्त जातियान रैगर निवासी नयाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज.

प्रार्थीगण

बनाम

1. शिशुपाल पुत्र बालू
2. उर्मिला देवी पत्नि रोशनसिंह
3. रेवतसिंह पुत्र रोशनसिंह
4. सपना पुत्री रोशनसिंह
5. रजना पुत्री रोशनसिंह

समस्त जाति गुर्जर निवासी नयाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

7. कैलाश पुत्र भगवान सहाय
8. जगदीश पुत्र भगवान सहाय
9. बाबूलाल पुत्र भगवान सहाय
10. मालीराम पुत्र रामदेव
11. रामेश्वर पुत्र रामदेव
12. जैताराम पुत्र रामदेव
13. नाथूराम पुत्र टीकूराम
14. सांवर पुत्र टीकूराम
15. बद्री पुत्र टीकूराम
16. सुवालाल पुत्र हरफूल
17. धर्मपाल पुत्र हरफूल
18. रोहिताश पुत्र हरफूल
19. कजोड पुत्र शिवबक्स
20. सुवालाल पुत्र शिवबक्स
21. मुरलीधर पुत्र शिवबक्स
22. हरिनारायण पुत्र शिवबक्स
23. गंगाराम पुत्र शिवबक्स
24. गणपत पुत्र शिवबक्स

समस्त जातियान रैगर निवासीयान नयाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज.

प्रार्थना पत्र बाबत निरस्त किये जाने आवंटन दिनांक 24.11.10 अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1970 एवं निरस्त किये जाने नामान्तरण संख्या 496, 497, 427 दिनांक 24.11.2010 अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 4.11.2019

प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन दिनांक 24.11.2010 नियम 1970 एवं नामान्तरण संख्या 496, 497, 427, दिनांक 24.11.2010 निरस्त करने बाबत पेश किया गया है। जिसके बिन्दुवार तथ्य निम्मन भांति पेश किये है।

1. यह है कि हाल आराजी खाता संख्या 1 के खसरा नम्बर 1015/1493/0.25, खाता संख्या 11 के खसरा नम्बर 1015/1/0.31, 1015/3/0.09 कुल किता 2 रकबा 0.40 है. तथा खाता संख्या 367 के खसरा नम्बर 1016/1/0.28 है. 1016/3/0.12 कुल किता 2 रकबा 0.40 है. वाकेग्राम नयाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर मे स्थित है।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी जमाबंदी सम्वत 2064 से 2067 के मुताबिक खसरा नम्बर 1015/2.46, 1016/0.45 खाता संख्या एक की सरकारी भूमि होकर सिवायचक भूमि थी। जो खाबिक खसरा नम्बर 123/1 से खसरा नम्बर हाल 1015 व साबिक खसरा नम्बर 114/202 से हाल खसरा नम्बर 1016 वाकेग्राम नयाबास कायम किये गये है तथा उक्त तमाम खसरानम्बरान साबिक खसरा नम्बर 2012 के मुताबिक खसरा नम्बर 73 वाकेग्राम गैलोडेरा तत्समय तहसील विराटनगर से उक्त खसरा नम्बरान 123 वाकेग्राम नयाबास कायम किये गये है।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र के खण्ड संख्या 1 व 2 मे वर्णित आराजी विवादित भूमि होकर साबिक रिकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 73 रकबा 88 बीघा 13 विस्वा वाके ग्राम गैलाडेरा जो खेती के लिए उपयुक्त भूमि नही होकर गै. मु. टिबा किस्म की भूमि है जो केवल चराई के लिए उपयुक्त है तथा पहाडी गड्डे होकर गै. मु. नला भूमि है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 मे वर्णित भूमि है जो किसी कदर भी आवंटन योग्य भूमि नही है।
4. यह है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित वाद ग्रस्त भूमियां अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने दिनांक 24.11.2010 प्रशासन गांव के संग अभियान मे आवंटन सलाहकार समिति कमेटी नयाबास कैम्प मे बिना कब्जा व बिना आंवटित योग्य खसरा नम्बरान 10/6/0.14 है. सेडूराम पुत्र श्योजीराम, रोशनसिंह पुत्र बालूराम गुर्जर निवासी नयाबास व खसरा नम्बर 1015/0.40 है. रोशनसिंह पुत्र बालूराम गुर्जर निवासी नयाबास के उक्त गै. मु. टीबा की भूमि का नियमन आवंटन कर दिया जो मौका वाक्यात व खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
5. यह है कि उक्त खसरा नम्बर 1015 मे से ही खसरा नम्बर 1015/1493/0.25 है. मार्ग एवं पगडंडियों हेतु गै. मु. रास्ता कायम कर दिया जबकि मौके पर कोई रास्ता नही है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1015, 1016 पर शुरू से ही प्रार्थीगण व तरतीबी प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त है। परन्तु आवंटन कमेटी ने बिना मौका जांच किये व कस्बेधारियों को बिना सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये कानून के खिलाफ

496 पर दर्ज कर खातेदारी दर्ज कर दी तथा नामान्तरण संख्या 497 पर मृतक सेडूराम पुत्र श्योजीराम रोशनसिंह पुत्र बालूराम व उर्मिला पत्नि रोशनसिंह के नाम खसरा नम्बर 1016/1/0.28 व 1016/3/0.12 किता 2 रकबा 0.40 है. कि खातेदारी दर्ज कर दी तथा नामान्तरण सं. 427 पर खसरा नम्बर 1015/1493/0.25 है. की खातेदारी गै.मु.रास्ता के नाम दर्ज कर दी जो दिनांक 24.04.2009 को ही दर्ज हो गई यानि तथा कथित नामान्तरण भी अप्रार्थी संख्या 6 ने आवंटन दिनांक 24.11.10 के खिलाफ तस्दीक किये है तथा आवंटन नियमन व नामान्तरण अलग–अलग दर्ज करना आवंटन नियम को कपटपूर्वक व नियम विरूद्ध साबित करता है। इसलिए नामान्तरण दिनांक 24.11.2010 व 24.04.09 भी मोरा वावचात व कानून खिलाफ होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

7. यह है कि आवंटन नियमन दिनांक 24.11.10 को अप्रार्थी संख्या 1 राजस्थान पुलिस मे सेवारत होकर माननीय कलक्टर सहाब के यहा गनमैन था तथा उक्त तमाम अप्रार्थीगण भूमिहीन की श्रेणी मे भी नही आते है। ना ही उक्त भूमि पर कभी कब्जा रहा है जबकि शुरू से ही खसरा नम्बर 1015 व 1016 पर प्रार्थीगण एवं तरतीबी प्रार्थीगण का कब्जा काश्त रहा है। इस कारण आवंटन दिनांक 24.11.2010 व नामान्तरण दिनांक 24.11.10 आवंटन सलाहकार समिति को तथ्य छुपाकर कपटपूर्वक आवंटन करवाकर नामान्तरण तस्दीक कराया है जो काबिले निरस्तनीय है।
8. यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 राजकीय सेवा मे सेवारत व्यक्ति है जो चालाक किस्म का व्यक्ति है जो श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के यहां सेवारत होने का फायदा उठाकर आवंटन सलाहकार समिति से उक्त भूमि का आवंटन नियमन करवा लिया जबकि साबिक खसरा परिवर्तन के अनुसार शुरू से ही प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त रहा है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है। तथा प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण गरीब व अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। जिन्हे राज्य सरकार ने साबिक खसरा नम्बर 73 व नवीन राजस्व ग्राम नयाबास के खसरा नम्बर 123 मे जीविकोपार्जन हेतु भूमियां आवंटन की गई थी। ऐसी सूरत मे अप्रार्थीगण ने आवंटन सलाहकार समिति से तथ्य छिपाकर बिना दस्तावेज पेश किये खसरा नम्बर 1015 व 1016 का आवंटन करवा लिया वर्तमान मे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के नाम भूमियां दर्ज है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के मुताबिक भूमि आवंटन योग्य नही होने से खारिज योग्य है।
9. यह है कि आवंटन नियमन कमेटी ने विधि के प्रावधानो को नजरअंदाज करते हुए आवंटन नियमो को ताक मे रखते हुए बिना कब्जा के अधिक भूमि रखने वाले खातेदार के नाम नियमन कर दिया तथा नियमन आवंटन पत्र व अप्रार्थी संख्या 6 के द्वारा तस्दीक नामान्तरण मे भारी विरोधाभास होने व मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा नही होने के कारण भी आवंटन आदेश 24.11.2010 व नामान्तरण काबिले निरस्ती है।
10. यह है कि आवंटन नियमन दिनांक 24.11.2010 से पूर्व रोशनसिंह पुत्र बालूराम की मृत्यु हो चुकी थी जो मृत्त व्यक्ति के पक्ष मे किया गया नियमन शुरू से ही शुन्य है तथा नामान्तरण संख्या 496 व 497 भी नियमन के खिलाफ तस्दीक किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।
11. यह है कि प्रार्थीगण का मौके पर शुरू से ही कब्जा काश्त रहा है उक्त आवंटन की जानकारी प्रार्थीगण ने पटवारी से जमाबंदी लेने से जानकारी हुई उसके बाद प्रार्थीगण ने समस्त आवश्यक दस्तावेजात प्राप्त किये तथा दिनांक 09.10.17 को आवंटन रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने पर ज्ञात हुआ कि अप्रार्थीगण ने नियम विरूद्ध आवंटन

12. यह है कि अप्रार्थीगण उक्त अवैध एवं निष्प्रभावी आवंटन नियमन की आड मे मौके पर पत्थरगढी करवा कर मौके पर काबिज होने की फिराक मे है। जिसका कानूनी अधिकार नही है। उक्त आवंटन आदेश 24.11.2010 निरस्त नही किया गया तो प्रार्थीगण को विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा तथा प्रार्थीगण को उनके विधिक अधिकारों से महरूम होना पडेगा एवं प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति करना किसी भी धन राशि से संभव नही हो सकेगी तथा पक्षकारों के मध्य परस्पर मुकदमेबाजी बढेगी।
13. यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अधिकार श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन नियमन एवं नामान्तरण संख्या 496 व 497, 427 दिनांक 24.11.2010 को निरस्त किया जावे तथा खसरा नम्बर 1015/1, 1015/3, 1016/1, 1015/1463 वाकेग्राम नयाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर की खातेदारी पुनः खाता संख्या 1 सरकारी भूमि दर्ज किये जाने की आज्ञा प्रदान करे।
14. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये गये बाद तामील होने पर उनकी ओर से श्री खेमचन्द यादव एड. उपस्थित आकर वकालतनामा पेश किया।
15. यह है कि वकील प्रार्थीगण ने मौका कमीश्नर नियुक्त कराने बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.17 को पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर तहसीलदार शाहपुरा से रिपोर्ट मंगवाई जाने पर उनके पत्रांक भू.अ./2019/2201 दिनांक 24.07.19 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जो सलग्न पत्रावली है।
16. प्रकरण मे अप्रार्थीगण की ओर से जबाव पेश हुआ, जबाव मे वर्णित तथ्य इस प्रकार पेश किये है कि आराजी मुतनाजा न तो गै.मु. टीबा किस्म की भूमि है एव ना ही गै. मु. नला भूमि है सम्पूर्ण भूमि बारानी तृतीय है। उक्त भूमि आवंटन व नियमन योग्य भूमि रही है। उक्त भूमि किसी प्रकार से आर.टी. एक्ट की धारा 16 मे वर्जित भूमि नही है। सभी कथन गलत एवं रिकार्ड व मौके के विरूद्ध अंकित किये है। जो काबिले निरस्त है। आवंटन/नियमन कमेटी ने आवंटन/नियमन की गई भूमि विधि के अनुरूप सभी मानको को मानते हुए कब्जे के आधार पर नियमन की है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का ना तो अब से पहले कभी कब्जा रहा है ना ही अभी कब्जा है। मौके पर किस भूमि पर किस कृषक का कब्जा है इस बात का परीक्षण खसरा परिवर्तनशील का अध्ययन कर पटवारी हल्का , गिरदावर हल्का , तहसीलदार की रिपोर्ट एवं आवंटन/नियमन के लिए पत्रावली तैयार कर पेश करने के आधार पर आवंटन/नियमन सलाहकार समिति ने किया तथा परीक्षण के बाद भूमि आवंटन/नियमन योग्य पाई जाने पर आवंटन/नियमन किया गया जिसे निरस्त नही किया जा सकता है एवं न ही नियम विरूद्ध है। नामान्तरण 24.11.10 एवं 24.04.2009 मौका बावयात एवं कानून के अनुरूप है। जिसे निरस्त नही किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 का राजकीय सेवा मे होने से भूमि आवंटन नियमन धारण करने से कोई सम्बन्ध नही है। अप्रार्थी को नाजायज परेशान करने की गरज से गलत रूप से प्रकरण हाजा मे जोडा जाकर प्रार्थीगण परेशान कर रहे है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 इस प्रार्थना पत्र मे वर्णित आवंटन/नियमन से कोई सम्बन्ध नही है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण का कभी कोई कब्जा नही रहा है। मृत व्यक्ति के पक्ष मे कोई आवंटन/नियमन नही किया गया है। मात्र संदेह पैदा करने की नियत से गलत कथन किये है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत निरस्तीकरण आवंटन/ नियमन

नियमन/आवंटन आदेश बाद सभी को सूचित कर तथ्य उजागर कर नोटिस मे डालने के बाद नियमन/आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया है इसलिए प्रार्थना पत्र निरस्तनीय योग्य है। इसके अलावा जबाव के विषय विवरण मे कथन किया है कि आवंटन/नियमन 24.11.2010 के विरूद्ध 14/4 प्रार्थना पत्र दिनांक 16/19.12.2011 को पेश किया गया था जो दिनांक 02.01.15 को खारिज हो गया है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 प्रार्थी है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

17. बहस सुनी गई वकील प्रार्थी का बहस मे कथन है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित खण्ड संख्या 1 व 2 की वादग्रस्त भूमिया प्रशासन गावों के संग अभियान कैम्प नयाबास मे बिना कब्जा एवं बिना आवंटन योग्य भूमि खसरा नम्बर 1016/0.40 है. सेडूराम पुत्र श्योजीराम, रोशनसिंह पुत्र कालूराम गुर्जर निवासी नयाबास तथा खसरा नम्बर 1015/0.40 है. रोशनसिंह पुत्र बालूराम निवासी नयाबास गै.मु. टीबा की भूमि का नियमन कर आवंटन दिनांक 24.11.10 को आवंटन नियमन कमेटी ने कर दिया। उक्त आवंटन नियमन के बाद अप्रार्थी सं. 6 तहसीलदार शाहपुरा ने दिनांक 24.11.2010 को ही नामान्तरण संख्या 496 रोशनसिंह पुत्र बालूराम के नाम दर्ज कर दिया तथा नामान्तरण संख्या 497 पर सेडूराम पुत्र श्योजीराम रोशनसिंह व उर्मिला पत्नि रोशनसिंह के नाम खसरा नम्बर 1016/1/0.28 , 1016/3/0.12 किता 2 रकबा 0.40 है. की खातेदारी दर्ज कर दी तथा खसरा नम्बर 1015/1493/0.25 है. की खातेदारी गै. मु. रास्ते की दर्ज कर दी जो उक्त नामान्तरण अप्रार्थी संख्या 6 ने कानून के खिलाफ दर्ज किये है जो निरस्त किये जावे। जबकि शुरू से भूमि खसरा नम्बर1015 व 1016 पर प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण व उनके बुजुर्गान का कब्जा काश्त रहा है तथा आज भी कब्जा काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 सेवारत कर्मचारी है। माननीय जिला कलक्टर के यहां सेवारत होने का फायदा उठाकर आंवटन सलाहकार समिति से उक्त भूमि का आवंटन नियमन कराया है। आवंटन नियमन 24.11.10 से पूर्व रोशनसिंह पुत्र बालूसिंह की मृत्यु हो चुकी थी उक्त तथ्य प्रार्थीगण द्वारा छुपाया जाकर आवंटन कराया है। मृतक व्यक्ति के पक्ष मे किया गया नियमन शुरू से ही शुन्य है तथा नामान्तरण 496, 497 नियम के खिलाफ तस्दीक किया है। उक्त अवैध निष्प्रभावी आवंटन नियमन की आड मे मौके पर पत्थरगढी कराकर मौके पर काबिज होने की फिराक मे है। यदि आवंटन/नियमन 24.11.10 निरस्त नही किया गया तो प्रार्थीगण को उनके विधिक अधिकारों से महरूम होना पडेगा जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन/नियमन एवं नामान्तरण संख्या 496, 497 व 427 दिनांक 24.11.2010 को निरस्त किया जावे तथा खसरा नम्बर 1015/1, 1015/3, 1016/1, 1015/1493 वाकेग्राम नयाबास तहसील शाहपुरा की खातेदारी पुनः खाता संख्या 1 सरकारी भूमि दर्ज की जावे।

18. वकील रेस्पोडेंट का बहस ने कथन है कि आराजी मुतनाजा न तो गै.मु. टीबा किस्म की भूमि है एव ना ही गै.मु. नला भूमि है। सम्पूर्ण भूमि बारानी तृतीय है। उपरोक्त भूमि आवंटन/नियमन योग्य भूमि रही है। उक्त भूमि किसी प्रकार से आर.टी. एक्ट की धारा 16 मे वर्जित भूमि नही है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा नही रहा है। मौके पर किस कृषक का कब्जा है इस बात का परिक्षण पटवारी हल्का/गिरदावर की रिपोर्ट, खसरा परिवर्तनशील का अध्ययन कर पत्रावली तैयार कर पेश होने के आधार पर आवंटन/नियमन सलाहकार समिति के द्वारा परीक्षण करने पर आवंटन/नियमन योग्य भूमि पाई जाने पर आवंटन/नियमन किया गया है। आवंटन/नियमन कमेटी ने

24.11.10 एवं 24.04.2009 मौका वाक्यात एवं कानून के अनुरूप है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण का कभी कोई कब्जा नही रहा है। मृत व्यक्ति के पक्ष मे कोई आवंटन/नियमन नही किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत आवंटन/नियमन निरस्तीकरण मियाद बाहर पेश किया है। इसके अलावा वकील अपीलार्थी का यह भी कथन है कि आवंटन/नियमन 24.11.10 के विरूद्ध 14(4) का प्रार्थना पत्र दिनांक 16/19.12.2011 को पेश किया गया था जो दिनांक 02.01.15 को खारिज हो गया है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

19. उभय पक्षों की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभयपक्षो द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रकरण आवंटन/ नियमन से संबंधित है प्रशासन गावों के संग अभियान मे दिनांक 24.11.2010 को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक ग्राम नयाबास मे आराजी खसरा नम्बर 1016 रकबा 0.40 किस्म बारानी 3 सेडूराम पुत्र श्योजीराम रोशनसिंह पुत्र बालूराम गुर्जर निवासी नयाबास व खसरा नम्बर 1015 रकबा 0.40 है. किस्म बारानी 3 रोशनसिंह पुत्र बालूराम जाति गुर्जर निवासी नयाबास के नाम नियमन की गई होना पाई गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है बिना कब्जा एवं बिना आवंटन योग्य भूमि का आवंटन/नियमन कमेटी द्वारा दिनांक 24.11.10 को नियमन कर दिया उक्त आवंटन/नियमन के बाद अप्रार्थी संख्या 6 तहसीलदार ने नामान्तरण खोल दिया जबकि शुरू से ही प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण व उनके बुर्जुगान का कब्जा काश्त रहा है तथा आज भी कब्जा काश्त है। उक्त अवैध निष्प्रभावी आवंटन/नियमन की आड मे मौके की पत्थरगढी कराकर मौके पर अप्रार्थीगण काबिज होने की फिराक मे है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत बहस मे जाहिर किया है कि उपरोक्त भूमि आवंटन/नियमन योग्य भूमि रही है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा नही रहा है। मौके पर किस कृषक का कब्जा है इस बाबत परीक्षण पटवारी हल्का गिरदावर की रिपोर्ट खसरा परिवर्तनशील का अध्ययन कर पत्रावली तैयार कर पेश होने के आधार पर आवंटन/नियमन कमेटी द्वारा परीक्षण करने पर आवंटन/नियमन योग्य भूमि पाई जाने पर अप्रार्थीगण को भूमि का नियमन किया गया है। सभी मापदण्डो को मानते हुए कब्जे के आधार पर उक्त भूमि नियमन की है। जिसे निरस्त नही किया जा सकता है। जबकि प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण का कभी कोई कब्जा नही रहा है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया है इसके अलावा यह भी बहस मे जाहिर किया है कि उक्त आवंटन/नियमन दिनांक 24.11.10 के विरूद्ध 14(4) का प्रार्थना पत्र 16/19.12.2011 को सक्षम न्यायालय मे पेश किया था जो दिनांक 02.01.2015 को खारिज हो चुका है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। प्रकरण मे तहसीलदार से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 1015 रकबा 2.97 मे से 0.40 है. व खसरा नम्बर 1016 रकबा 0.45 है. मे से 0.40 है. भूमि का नियमन हुआ था। खसरा नम्बर 1015/1 रकबा 0.31, 1015/3 रकबा 0.09 है. रोशनसिंह पुत्र बालूराम, उर्मिला पत्नि बालूराम जाति गुर्जर खसरा नम्बर 1016/1 रकबा 0.28, 1016/3 रकबा 0.12 है. सेडूराम पुत्र श्योजीराम, रोशनसिंह पुत्र बालूराम, उर्मिला पत्नि रोशनसिंह कौम गुर्जर के नाम आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 24.11.2010 को नियमन की गई थी। वर्तमान मे खसरा नम्बर 1015/1, रकबा 0.31, 1015/3 रकबा 0.09 है. कुल रकबा 0.40 है. उर्मिला पत्नि बालूराम उर्मिला पत्नि रोशन रजनी पत्नि सपना पत्रियां रोशनसिंह खेतसिंह पुत्र रोशनसिंह जाति

1015/3, 1016/1, 1016/3 कुल किता 4 कुल रकबा 0.80 है. पर बाजरा की फसल खडी है मौके पर खातेदार का कब्जा काश्त है। अन्य किसी का कब्जा काश्त नही है। चुंकि मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट से आज भी अप्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्तकार है एवं मौके पर अप्रार्थीगण की बाजरा की फसल खडी होना बताया है। इससे स्पष्ट होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मौके पर कब्जा के आधार पर कब्जा मौका वाक्यात एवं कानून के अनुरूप परीक्षण करने के उपरान्त आवंटन/नियमन योग्य भूमि पाई जाने पर उक्त विवादित भूमि का नियमन दिनांक 24.11.2010 को किया गया है। जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। भूमि नियमन पश्चात जरिये नामान्तरण से खातेदारी दर्ज हुई है। वर्तमान मे भी मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट से अप्रार्थीगण काबिज काश्त है तथा मौके पर बाजरे की फसल काश्त कर रखी है। इसके अलावा वकील अप्रार्थीगण ने यह भी जाहिर किया है कि उक्त नियमन दिनांक 24.11.10 के विरूद्ध 14(4) का प्रार्थना पत्र 16/19.12.2011 को पेश हुआ था जो दिनांक 02.01.15 को खारिज हो चुका है केवल मात्र अप्रार्थीगण को परेशान करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) बाबत आवंटन/नियमन निरस्तीकरण का पेश किया है जो आधारहीन, तथ्यो से परे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर मियाद बाहर तथा अप्रार्थीगण को मात्र परेशान करने की गरज से पेश किया है जो चलने योग्य नही है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

20. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत आवंटन/नियमन अन्तर्गत धारा 14(4) अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा नियमन/आवंटन कमेटी द्वारा प्रशासन गावों के संग अभियान वाकेग्राम नयाबास मे दिनांक 24.11.10 को किया गया नियमन एवं नियमन आदेशों की पालना मे स्वीकार किये गये उक्त नामान्तरणों को बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

21. यह निर्णय आज दिनांक 4.11.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)